

राजस्थान सरकार

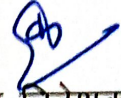
**राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक:—एफ 21 / सा.प्र. / एक्च्यूरी / 2021-22 /

दिनांक:

**शुद्धि पत्र**

इस कार्यालय की सीमित निविदा सूचना क्रमांक एफ 21 / सा. प्र. / एक्च्यूरी / 2021-22 / 2921 दिनांक 17.11.2021 द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21 (2 वर्ष) हेतु राज्य बीमा योजना के मूल्यांकन संबंधी कार्य हेतु बीमा (एक्च्यूरियल सर्विसेज) हेतु दिनांक 24.11.2021 सांय 4.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की गई थी। पर्याप्त निविदा पत्रों के अभाव में उपापन समिति द्वितीय की अभिशंषा पर उक्त सीमित निविदा के समय सीमा बढ़ाकर दिनांक 03.12.2021 किया जाता है एवं सीमित निविदा की समस्त शर्तें पूर्वानुसार रहेगी।



संयुक्त निदेशक (सा.प्र.)  
राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग  
राज. जयपुर

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा० नि० विभाग, मुख्यालय जयपुर।**  
 बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, राजस्थान जयपुर।

**कार्य का विवरण**

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार, राज्य कर्मियों हेतु राज्य बीमा, प्रावधायी निधि, नवीन पेंशन योजना आदि योजनाओं का संचालन करती हैं। वित्त विभाग के अधीन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राज्य कर्मियों हेतु राज्य बीमा योजना का संचालन मुख्यालय समस्त जिला कार्यालयों के माध्यम से करता है। राज्य सरकार की संचित निधि से वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित स्लेब के अनुसार बीमा प्रीमियम प्राप्त कर, जोखिम वहन कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य राजस्थान राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से निरन्तर किया जा रहा है। यद्यपि कर्मचारी कल्याण की उक्त योजना वर्ष 1943 से राज्य में संचालित की जा रही है व 1949 में पहली बार बोनस की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष हेतु मूल्यांकन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बीमाधारको हेतु राज्य सरकार द्वारा बोनस की घोषणा की जाती है।

वर्तमान में राज्य कर्मचारियों/बीमा धारको के वेतन से प्रीमियम के रूप में जो बीमा कटौती की जाती है, वह इस विभाग को प्राप्त होती है। विभागीय अनुभाग— एक मूल्यांकन अनुभाग व दूसरा बैलेन्स शीट अनुभाग मिलकर बोनस गणना कार्य को गति प्रदान करते हैं। बोनस गणना कार्य बीमांकक द्वारा व बैलेन्स शीट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार की जाती है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालयों से वर्षवार पंजिकाएँ यथा प्रालेखा प्रथम, प्रालेखा अधिक, संशोधन पंजिका, बुकिंग पंजिकाएँ (मृत्यु, अध्यर्पण, परिपक्वता) प्राप्त होती हैं। इन पंजिकाओं के आधार पर मुख्यालय के मूल्यांकन अनुभाग द्वारा वर्षवार एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें एक मूल्यांकक वर्ष तक कुल पॉलिसीयों, फरदर, परिपक्वता, मृत्यु, अध्यर्पण से निस्तारित हुए प्रकरणों, संशोधन पंजिकाओं से ऑन-ऑफ हुए प्रकरणों का विवरण, अनबुक की सूची, आजीवन बीमा समापक विवरण एवं बैलेन्स शीट की कॉपी तैयार कर बीमांकक के पास भिजवाई जाती है। उपरोक्त विवरण के आधार पर "बीमांकक" द्वारा संदर्भित वर्ष हेतु बोनस गणना कार्य किया जाता है।

बीमांकक से जॉच के पश्चात् बोनस गणना की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भिजवायी जाती है। राज्य सरकार से स्वीकृति पश्चात् बीमाधारको को बीमा पॉलिसी पर इसका लाभांश दिया जाता है।

2/5

वर्तमान में 2018-19 तक का बोनस गणना कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1. कुल पॉलिसियों की संख्या — 6,65,843
2. कुल समाश्वासन संख्या — 25,90,319
3. कुल बीमाधन मूल्य(रूपये में) — 2,63,32,34,45,039
4. कुल वार्षिक बीमा किस्त, प्रीमियम(रूपये में) — 11,27,76,39,504
5. कुल लाइफ फण्ड(रूपये में) — 1,73,35,95,36,21256
6. बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट में कि गयी सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक समाश्वासन वर्ष की बीमाकृत राशि पर प्रति हजार 90/- रुपये प्रति वर्ष का साधारण प्रतिवर्ती (रिवर्सनरी) व आजीवन समाश्वासन की बीमाकृत राशि पर 112.5/- रुपये प्रति हजार प्रति वर्ष एवं अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्वता दावों में परिणित होने वाली पॉलिसियों बाबत समाश्वासन प्रारम्भ होने से लेकर परिपक्वता तिथि तक प्रत्येक समाश्वासन वर्ष के लिए 4/- रुपये की दर से पर्यवतायी (टर्मिनल) बोनस घोषित किया जा चुका है।

विभाग में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 आगे दो वर्षों का बोनस गणना कार्य किया जाना है। इन दो वर्षों हेतु "मूल्यांकक" (Actuary) की नियुक्ति हेतु स्वीकृति राज्य सरकार से पूर्व में प्राप्त हो गई हैं। वर्ष 2019-20 के बोनस गणना हेतु बीमांकक को पॉलिसी संख्या, समाश्वासन संख्या बीमाधन, बीमा किस्त(प्रीमियम) व लाइफ फण्ड की पृथक से सूचना विभाग द्वारा बीमांकक को उपलब्ध करवाई जाएगी।

RTPP प्रक्रिया से नियमानुसार चयनित मूल्यांकक (एक्च्यूरी) को विभाग से समस्त सूचनाएँ/विवरण पत्र प्राप्त होने की दिनांक से 1(एक) माह में अपनी रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट प्राप्त होने एवं सक्षम अनुमोदन के पश्चात् बीमांकक (एक्च्यूरी) को स्वीकृत फीस(Approved fee) का भुगतान किया जायेगा।

3/5

## राजस्थान सरकार

## राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—एफ 21 / सा.प्र. / एक्चुरियरी / 2021-22 /

दिनांक:

**विषय:— वर्ष 2019-20, 2020-21 (2 वर्ष) हेतु राज्य बीमा योजना के मूल्यांकन संबंधी कार्य हेतु बीमांकक (एक्चुरियल सर्विसेज) हेतु निविदा प्रपत्र**

1. नाम फर्म / कम्पनी / संस्था:— .....  
 पता:— .....  
 टेलीफोन:— .....  
 पैन न.:— .....  
 बीमांकक (एक्चुरियल) सर्विसेज का रजि. नं. ....

- .....  
 जीएसटी नं. ....  
 2. निविदा विज्ञप्ति क्रमांक ..... दिनांक .....  
 3. राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग मुख्यालय में बीमा मूल्यांकन (बोनस हेतु बीमांकक कार्य) हेतु निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की जानी है।

| क्र. स. | कार्य का विवरण                                        | वार्षिक फीस / दरें (सभी कर सहित रू. में) |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.      | बीमा मूल्यांकन (बोनस हेतु बीमांकक कार्य) वर्ष 2019-20 |                                          |
| 2.      | बीमा मूल्यांकन (बोनस हेतु बीमांकक कार्य) वर्ष 2020-21 |                                          |

4. उक्त वर्णित कार्य की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा संतोषजनक एवं सक्षम अनुमोदन के पश्चात् बीमांकक (एक्चुरियरी) को स्वीकृत वार्षिक फीस (Approved Fee) का भुगतान किया जायेगा।  
 5. कार्यादेश से ठेका अवधि एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर



**राजस्थान सरकार**

**राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक:-एफ 21 / सा.प्र. / एक्चुयरी / 2021-22 /

दिनांक:

**वर्ष 2019-20, 2020-21 (2 वर्ष) हेतु राज्य बीमा योजना के मूल्यांकन संबंधी कार्य हेतु बीमांकक (एक्चुरियल) सर्विसेज हेतु शर्तें**

1. बीमा मूल्यांकन (बोनस हेतु बीमांकक कार्य) के कार्य हेतु प्रस्तुत वार्षिक फीस में सभी कर/खर्च सम्मिलित होंगे।
2. अनुबंधित फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष के बीमा मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर योजना प्रभारी की संतोषजनक टिप्पणी उपरान्त कार्य का भुगतान किया जावेगा।
3. जीएफ एण्ड एआर तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के सभी उपबन्ध प्रभावी रहेंगे। जिसमें निहित शर्तों की पालना के लिए अनुबंधित फर्म बाध्य होगी।
4. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी हुई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. किसी प्रकार का विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर रहेगा।
6. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का एकाधिकार निदेशक/ अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, जयपुर को होगा।
7. कार्य योजना का विवरण पत्र संलग्न है।
8. उक्त कार्य हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक ..... साय 24.11.21 3.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

अति. निदेशक, प्रशासन  
राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग  
राज. जयपुर

मैं/हम निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निविदा संख्या.....वर्ष..... दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना करने के लिए सहमत है एवं सहमति के स्वरूप मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर